भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3311

उत्तर देने की तारीख-16/12/2024

किसी जिले में एक से अधिक केवी की स्थापना

3311. श्री इमरान मसूदः
श्री के. गोपीनाथ:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी जिले या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालयों (केवी) स्थापित किए जाने के लिए क्या मानदंड हैं;
(ख) क्या एक ही जिले या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक केवी स्थापित किए जा सकते हैं;
(ग) क्या सरकार का विचार सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केवी खोलने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या केवी में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए कोई संसद सदस्य कोटा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) क्या सरकार की योजना होसूर, बंगलुरु में तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी भाषाओं के साथ नया केवी खोलने का है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): केंद्रीय विद्यालय (केवि) मुख्य रूप से रक्षा और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों**,** केंद्रीय स्वायत्त निकायों**,** केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान (आईएचएल) सहित स्थानांतरित होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं**,** ताकि पूरे देश में शिक्षा का एक

सामान्य कार्यक्रम संचालित किया जा सके। नए केवि खोलने के प्रस्ताव भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों/ राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के प्रशासनों द्वारा प्रायोजित किए जा सकते हैं, जिसमें मानदंडों के अनुसार नए केवि की स्थापना के लिए भूमि और अस्थायी आवास सहित आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता हो। प्रस्ताव मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन होते हैं। केवि राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र/ जिला/ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मानदंडों पर नहीं खोले जाते हैं।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सहारनपुर संसदीय क्षेत्र में नया केवि खोलने के लिए राज्य सरकार/जिला प्रशासन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) पिछले कुछ वर्षों में स्वीकृत कक्षा क्षमता से अधिक विवेकाधीन कोटे में वृद्धि के कारण केवि में प्रवेश प्रक्रिया का प्रबंधन जटिल हो गया था और छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) में वृद्धि के कारण लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त नहीं हो रहे थे। परिणामस्वरूप, इसे तर्कसंगत बनाने और वांछित शिक्षण परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से, माननीय संसद सदस्यों, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, केविसं के कर्मचारियों के पोते-पोतियों और सेवानिवृत्त केविसं कर्मचारियों के बच्चों आदि के लिए कई विवेकाधीन कोटे समाप्त कर दिए गए हैं।

(ङ) और (च): केविसं से प्राप्त सूचना के अनुसार, होसुर में नया केवि खोलने के लिए राज्य सरकार/जिला प्रशासन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****